उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग

संख्या– 4931/60–1–10–1/13(71)/06

लखनऊ : दिनांक : 03 दिसम्बर, 2010

:: कार्यालय ज्ञाप ::

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम– 2000 (2006 के संशोधन अधिनियम–33 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत बाल संरक्षण के सशक्त संरक्षात्मक परिवेश, पालन पोषण करने, परिवार की देखरेख पाने, प्रतिष्ठा के साथ रहने, हिंसा, दुर्व्यवहार से बचने और संरक्षण पाने के उद्देश्य से समेकित बाल संरक्षण योजना (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहमति पत्र (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) दिनांक 24–11–2010 को हस्ताक्षरित हो जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल महोदय की सहर्ष अनुमति से प्रदेश में दिनांक 24–11–2010 से समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) तात्कालिक प्रभाव से लागू हो गयी है। अतः सभी सम्बन्धित अधिकारी / प्राधिकारी समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के सम्बन्ध में जारी किए गए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या– 4931(1)/60–1–10–1/13(71)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस कार्यालय ज्ञाप को सरकारी गजट के आगामी अंक में विधायी परिशिष्ट खण्ड–क एवं भाग–4 में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अध्यक्ष / प्रधान मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव